



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड़, रायपुर
(प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2552233

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-655/1982

रायपुर, दिनांक 21/06/2017

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
कोरबा वन मंडल, कोरबा
छत्तीसगढ़

विषय:- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Laying Optical Fibre Cable from Batati to Hati route in Korba District, area 0.427 ha. regarding.

— प्रस्ताव क्रमांक FP/CG/Others/ 21373 / 2016

संदर्भ: — मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त वन मंडल का पत्र क्रमांक/ तक/1124 दिनांक 24.04.2017

= 0 =

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से आवेदनकर्ता रिलायंस जियो, ईन्फोकॉम लिमिटेड द्वारा कोरबा जिले के कोरबा वनमंडल अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर केबल बताती से हाटी लाइन के गैर वानिकी कार्य हेतु 0.427 हे. वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जिसका परीक्षण नोडल कार्यालय द्वारा किया गया जिसमें निम्न कमियां पाई गई हैं:-

1. वन मंडलाधिकारी के Site Inpection Report अनुसार पेज नं. 53 में Reserved Forest - Nil है तथा आनलाईन Form-A Part-II में Reserved forest - 0.207 अपलोड है। आनलाईन में उक्त गलती का सुधार आवश्यक है।
2. प्रपत्र-3 (पृ.क्र. 51) आरेंज एरिया की जानकारी में कक्ष क्रमांक अनुसार आवेदित क्षेत्र के रकबे में अंतर है। वन क्षेत्र का विवरण पृष्ठ 3 एवं प्रपत्र-3 में कक्ष क्रमांक/नारंगी वन क्षेत्र की जानकारी में भिन्नता है, स्पष्ट करें?

उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर संशोधित प्रस्ताव तत्काल प्रेषित करना सुनिश्चित करें। तदनुसार प्रस्ताव मूलतः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रकरण ई.डी.एस किया गया है।

संलग्न:- प्रस्ताव मूलतः

(उप वन संरक्षक)

वास्ते प्र.मु.व.स (भू - प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-655/1983
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

रायपुर, दिनांक 21/06/2017

1. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
 2. महाप्रबंधक, रिलायंस जियो, ईन्फोकॉम लिमिटेड, 4 चौथी मंजील, 401-405, अंबुजा माल, रायपुर, छत्तीसगढ़।
- वर्तमान में किसी भी प्रकार के वन भूमि में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।

(उप वन संरक्षक)

वास्ते प्र.मु.व.स (भू - प्रबंध / व.सं.अ)
01C छत्तीसगढ़